न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 37 / 2024(GCMS : 2024/69)

आवास फाईनेंसर्स लि., पंजीकृत कार्यालय 201–202 द्वितीय तल, साउथ एण्ड सकेव्यर, मानसरोवर इण्डस्ट्रियल ऐरिया, जयपुर व स्थानीय शाखा कार्यालय शॉप नं. 1 व 2, द्वितीय तल, शक्ति मार्ग राजस्थान पत्रिका कार्यालय के पास, सूरतगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी प्रेम कुमार

<u>बनाम</u>

1. **कर्म सिंह** पुत्र श्री जगराज सिंह निवासी 36 पीटीपी मन्नीवाली, सादुलशहर श्रीगंगानगर, राजस्थान–335062 **द्वितीय पता**–ग्राम पंचायत सरदारपुराबीका, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान
2. **इन्द्रजीत** पुत्र श्री कर्मसिंह निवासी 36 पीटीपी मन्नीवाली, सादुलशहर श्रीगंगानगर, राजस्थान–335062
3. **मनजीत कौर** पत्नी श्री कर्म सिंह निवासी 36 पीटीपी मन्नीवाली, सादुलशहर श्रीगंगानगर, राजस्थान–335062
4. **मंगा सिंह पुत्र** श्री गोपाल सिंह, वार्ड नं. 11, मन्नीवाली, श्रीगंगानगर, राजस्थान–335062

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>06.05.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक / कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री जितेन्द्र पराशर ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 05.04.2024 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक / कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण कर्म सिंह, इन्द्रजीत, मनजीत कौर एवं मंगा सिंह को ऋण सुविधा के रूप में दिनांक राशि 5.25 / – लाख रूपये, (अखरे रूपये पांच लाख पच्चीस हजार मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 06.12.2023 तक की बकाया राशि 5,41,713 / – रूपये थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी कर्म सिंह द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति ग्राम पंचायत सरदारपुरा बीका, तहसी**[illegible]**शहर जिला श्रीगंगानगर जिसके उत्तर में गली, दक्षिण में राम** [illegible] **पश्चिम में जसवीर सिंह है (क्षेत्रफल 1560 स्केयर फीट),** का भौतिक कब्जा [illegible]र्थी बैंक को पुलिस [illegible]हायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:27:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण कर्मसिंह, इन्द्रजीत, मनजीत कौर एवं मंगा सिंह को ऋण सुविधा के रूप में** 5.25/—लाख रूपये (अखरे रूपये पाच लाख पच्चीस हजार मात्र) (दिनांक 07.06.2018 को 3.50/— रूपये एवं दिनांक 17.09.2019 को 1.75/— लाख रूपये) **की स्वीकृति प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी कर्मसिंह ने अपनी **अचल सम्पत्ति ग्राम पंचायत सरदारपुरा बीका, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर जिसके उत्तर में गली, दक्षिण में राम सिंह, पूर्व में गली तथा पश्चिम में जसवीर सिंह है (क्षेत्रफल 1560 स्केयर फीट),** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 04.12.2023 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी [illegible] द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति ग्राम पंचायत सरदारपुरा बीका, तहसील [illegible]शहर जिला श्रीगंगानगर जिसके उत्तर में गली, दक्षिण में राम सिंह, पूर्व में ग[illegible] तथा पश्चिम में जसवीर सिंह है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:47:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

(क्षेत्रफल 1560 स्केयर फीट), जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 06.12.2023 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 06.12.2023 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अ**प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 08.12.2023 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके** अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन दो समाचार पत्रों दैनिक नवज्योति एवं दी इण्डियन एक्सप्रेस में भी करवाया है, इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी कर्म सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी कर्म सिंह **द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अपनी अचल सम्पत्ति ग्राम पंचायत सरदारपुरा बीका, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर जिसके उत्तर में गली, दक्षिण में [illegible] पूर्व में गली तथा पश्चिम में जसवीर सिंह है (क्षेत्रफल 1560 स्केयर फीट), का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने का आदेश दिये जाते है।** इस आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:27:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति पर किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकबंधु)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.06.07 17:27:04 IST
Reason: SelfAttested